

कार्यालय आदेश संख्या १४६/2023

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 237/2019 दिनांकित 06.09.2019 का अतिक्रमण करते हुए, जोकि फाईल संख्या 73/10/2017-प्रशा.। के तहत जारी किया गया था, राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 5/2/2019-ओ.एल. (सेवा) दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से लेवल-7 में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर 30.07.2019 से पदोन्नति मिलने और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक 04-21/2017-IC/E.III.A दिनांक 04.07.2023 के संदर्भ में उनके अगले वेतन वृद्धि की तिथि से निचले स्तर अर्थात् 01.07.2020 से वेतन निर्धारण करने के लिये अपने विकल्प का पुनः प्रयोग करने के उपरांत श्री अश्विनी कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं	दिनांक	वृत्तान्त	वेतन	
1	29.07.2019	29.07.2019 को स्तर 6 में मौजूदा वेतन	रू 46200 /- स्तर-6, सेल-10	
2	30.07.2019	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति की मंजूरी (रू 44900- 142400) (स्तर-6 में रू 46,200 के मौजूदा वेतन की बजाय स्तर-7 में मात्र एक स्तर ऊपर)	Rs.47600 /- स्तर-7 (सेल-03)	
i.	01.07.2020	प्रयोग किये गये विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण निचले स्तर में अगले वेतन वृद्धि की तिथि से किया गया	रू 49000/- स्तर-7, सेल-4	
		30.06.2020 को स्तर 6 में मौजूदा वेतन		रू 46200 /- स्तर-6, सेल-10
		स्तर-6 में वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी उपरांत वेतन		रू 47600 /- स्तर-6, सेल-11
		लेवल-6 में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के कारण लेवल-6 में काल्पनिक वेतन वृद्धि की मंजूरी के बाद वेतन		रू 49000 /- स्तर-6, सेल-12
		लेवल-7 में प्राप्त आंकड़े के बराबर सेल पर वेतन निर्धारित किया जाता है क्योंकि ऐसी कोई सेल अगले उच्च सेल पर उपलब्ध नहीं है।	रू 49000/- स्तर-7, सेल-4	
i.	01.01.2021	वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद वेतन (D.O.I) वेतन वृद्धि की तिथि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-IC/E.III(A) दिनांक 31.07.2018 एवं कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 4-21/2017-IC/E.IIIA दिनांक 28.11.2019) के अनुसार है।	रू 50500/- स्तर-7, सेल-5	
ii.	01.01.2022	वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद वेतन (D.O.I)	रू 52000/- स्तर-7, सेल-6	
iii.	01.01.2023	वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद वेतन (D.O.I)	रू 53600/- स्तर-7, सेल-7	
iv.	01.01.2024	अगले वेतन वृद्धि की तिथि	-	

2. वेतन का निर्धारण और उससे उत्पन्न होने वाले बकाया का भुगतान, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा आपत्तियों/त्रुटियों के आलोक में समायोजन के अधीन है जो बाद में ध्यान में आ सकती हैं।

3. नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा यदि यह एमएसीपीएस के तहत दिए गए समान वेतन स्तर पर है। हालाँकि, वास्तविक पदोन्नति के समय यदि वह एमएसीपीएस के तहत उपलब्ध वेतन स्तर से अधिक वेतन स्तर वाले पद पर होता है, तो उसे उस स्तर पर रखा जाएगा जिस पर उसे एमएसीपी के कारण उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे आंकड़े के बराबर पदोन्नत स्तर में एक सेल में पदोन्नत किया गया है। यदि जिस स्तर पर पदोन्नत किया गया है, उस स्तर पर ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर के अगले उच्च सेल में रखा जाएगा।

अलका
23/7/23
(अलका सोनी)
उप सचिव

प्रति:

1. श्री अश्विनी कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़
4. एमटीयू
5. ऑफिस ऑर्डर फाइल